न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 17/2023 बउनवानी मोती पुत्र गोपी रेगर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बामन निवासी पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/34

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
13.6.2023	दिनांक 17.4.2023 से 12.6.2023 तक मंत्रालायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित।

अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.5.2022 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.2.2022 को श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश की पालना में दिनांक 15.2.2022 को श्रीमान तहसीलदार बामनवास को प्रेषित परिवाद पृष्ठ संख्या 1 लगायत 3 की प्रमाणित प्रति।
2. उक्त परिवाद पर तहसीलदार साहब बामनवास के निर्देशन मे हल्का पटवारी विकास जैमिनी व गिरदावर द्वारा बनाई गयी मौका रिपोर्ट व सम्पूर्ण जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
3. श्रीमान उपजिला कलेक्टर बामनवास को प्रेषित परिवाद दिनांक 15.2.2022 पर तहसीलदार बामनवास द्वारा की गयी कार्यवाही व मूल परिवाद एवं मूल परिवाद पर हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा की गयी सम्पूर्ण रिपोर्ट की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास द्वारा जरिये जवाब नोटिस क्रमांक भू.अ./2023/1701 दिनांक 12.4.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 25.5.2022 मे बिन्दु संख्या 1 से 3 की बिन्दुवार सूचना तहसीलदार बामनवास के पत्रांक 1700 दिनांक 12.4.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,20[illegible] तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.5.2022 मे चाही गयी सूचना तहसील[illegible] 1700 दिनांक 12.4.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति [illegible] अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:37:28 IST
Reason: SelfAttested